



कार्यालय वसूली अधिकारी-।
ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

R.C. No. 181/2015

बिक्री उद्घोषणा सूचना

पंजाब नेशनल बैंक बनाम मैसर्स राजेश्वरी कंक्रिट प्राइवेट लिमिटेड

बैंक और वित्तीय संस्थान बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 52(2) के तहत बिक्री की घोषणा

सीडी#1 मैसर्स राजेश्वरी कंक्रिट (पी) लिमिटेड, A-3/129, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110085

सीडी#2 श्रीमती ऋचा गुप्ता, पत्नी श्री मनीष कुमार गुप्ता, G-3/166, सेक्टर-11, रोहिणी।

सीडी#3 श्रीमती सरिता गुप्ता, पत्नी श्री राम दास गुप्ता, F-1/35-36, सेक्टर-11, रोहिणी, दिल्ली-110085

संपत्ति का विवरण

संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की तहसील हरोली के गाँव बाथरी में स्थित फैक्ट्री की जमीन, जिसका क्षेत्रफल 6784 वर्ग मीटर है।	₹ 48,50,000/- (अड़तालीस लाख पचास हजार मात्र)	₹ 4,85,000/- (चार लाख पचासी हजार मात्र)

1. जहाँ पर पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-।। द्वारा वसूली प्रमाणपत्र सं. 181/2015, ओ.ए. सं. 164/2013 दिनांकित 06.04.2015 के द्वारा वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार वाद के शुरुआत से ₹ 1,13,93,198/- (रुपये एक करोड़ तेरह लाख तिरानवे हजार एक सौ अठ्ठावनवे मात्र) की राशि की वसूली की जानी है, साथ ही वाद लंबित रहने की अवधि तथा भविष्य के लिए 16.25% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज, तथा वसूली प्रमाण-पत्र के अनुसार वाद दायर किए जाने की तारीख से लागत एवं अन्य शुल्क भी देय हैं।

2. नीलामी/बोली केवल ई-नीलामी वेबसाइट अर्थात् <https://baanknet.com> के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली के माध्यम से होगी।

3. इच्छुक बोलीदाताओं को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सेवा प्रदाता के साथ पहले से ही पंजीकरण कराना चाहिए और यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। यह केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब अपेक्षित धरोहर राशि निर्धारित मोड में जमा की जाती है।

4. ईएमडी 28.10.2026 को शाम 05:00 बजे तक वॉलेट/बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क (BAANKNET) <https://baanknet.com> पर जमा की जाएगी। उसके बाद जमा की गई ईएमडी को ई-नीलामी में भाग लेने हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

5. उपरोक्त के अतिरिक्त, कंपनी के मामले में पैन कार्ड की प्रति, पता प्रमाण एवं पहचान प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित बोर्ड प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी के प्रतिनिधित्व/अंतर्गामी की पुष्टि करने वाले किसी अन्य दस्तावेज की प्रति तथा ईएमडी जमा राशि की रसीद/काउंटर फाइल 28.10.2026 को शाम 05:00 बजे तक स्कैन कर ई-नीलामी वेबसाइट के माध्यम से सेवा प्रदाता के पास पहुँच जानी चाहिए। ईएमडी जमा रसीदों की हार्ड कॉपी भी वसूली अधिकारी-।, डीआरटी-।।, दिल्ली के कार्यालय में 30.10.2026 तक पहुँच जानी चाहिए। यही भी माना जाता है कि असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि भुगतान के उसी तरीके के माध्यम से ऐसे बोलीदाताओं के संबंधित खातों में वापस कर दी जाएगी।

5. सभायित बोलीदाता सेवा प्रदाता से ऑनलाइन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं।

नीलामी एजेंसी का नाम	बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क (BAANKNET)
सम्पर्क व्यक्ति	बैंकनेट के अधिकृत अधिकारी
हेल्पलाइन नं.	+91-8291220220
हेल्पलाइन ई-मेल पता	Support.BAANKNET@psballiance.com
बैंक अधिकारी	श्री सुनील कुमार दास (मुख्य प्रबंधक), पंजाब नेशनल बैंक - 9437322902, sunild@pnb.bank.in

6. संबंधित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने से पहले बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें तथा प्रक्रिया के लिए वेबसाइट <https://baanknet.com> पर जाएं।

7. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।

8. संपत्ति उपरोक्त लॉट में उल्लिखित आरक्षित मूल्य के साथ एक (01) लॉट में बेची जाएगी।

9. बोलीदाताओं को संपूर्ण नीलामी अवधि के दौरान ₹ 1,00,000/- के गुणकों में ऑफर बढ़ा सकेंगे।

10. संपत्ति "जहाँ है वही है" के आधार पर बेची जाएगी और ई-नीलामी एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन होगी।

11. उच्चतम बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली राशि का 25% वॉलेट बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क (BAANKNET) <https://baanknet.com> में पहले से भुगतान की गई ईएमडी के समायोजन के बाद तत्काल अगले बैंक कार्य दिवस शाम 4:00 बजे तक वसूली अधिकारी, डीआरटी-।।, दिल्ली खाता आर.सी. क्रमांक 181/2015 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा।

12. सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तारीख से 15वें दिन या उससे पहले बिक्री प्रतिफल राशि का शेष 75% जमा करना होगा। यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश है, तो तत्काल पहले बैंक कार्य दिवस पर वसूली अधिकारी, डीआरटी-।।, दिल्ली, खाता आर.सी. क्रमांक 181/2015 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा। उपरोक्त के अलावा, क्रेता को रजिस्ट्रार, डीआरटी-।।, दिल्ली के पक्ष में बिक्री प्रतिफल राशि पर 1% पाउंडेज शुल्क (लस 10 रुपये) भी जमा करना होगा। पाउंडेज शुल्क के लिए तैयार किया गया डीडी वसूली अधिकारी, डीआरटी-।।, दिल्ली के कार्यालय में जमा किया जाएगा।

13. यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो जमा की गई राशि (बिक्री के खर्चों को काटने के बाद) को, यदि अधिकृत अधिकारी उचित समझे, सरकारी खाते में जमा किया जा सकता है तथा भुगतान में चूक करने वाला क्रेता उस संपत्ति या जमा की गई राशि पर अपने सभी दावों से वंचित हो जाएगा। बिक्री की नई घोषणा जारी करने के तुरंत बाद उस संपत्ति को पुनः बेच दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, खरीदार उस राशि की भरपाई करने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो उसकी अंतिम बोली की राशि और बाद में जिस कीमत पर संपत्ति बेची गई है, उसके बीच के अंतर या कमी के रूप में सामने आती है।

14. नीलामी का कार्यक्रम इस प्रकार है:-

सभी माध्यम से नोटिस की सर्विस	12.10.2026
सम्पत्ति का निरीक्षण	26.10.2026
जमा धरोहर राशि के प्रमाण और नीलामी एजेंसी पोर्टल के दस्तावेज अपलोड करने के साथ भौतिक बोलियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि	28.10.2026
ई-नीलामी की तिथि एवं समय	30.10.2026

15. वसूली अधिकारी के पास किसी भी बोली या बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने, अथवा बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी को स्थगित या रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।

इस अधिकरण की मुहर के साथ मेरे हस्ताक्षर के अधीन, दिनांक 02.09.2026 को जारी किया गया।

हस्ता/-

अर्चना सहगल

वसूली अधिकारी-।।

ऋण वसूली अधिकरण-।।, दिल्ली